फर्द अहकाम

राजश्री ताम्बिया बनाम बनवारी लाल

संख्या: 35 / 2018

क्र	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.2024	पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीलाल चौधरी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश नही करने पर प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब का अवसर बन्द किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वाद हेतु पत्रावली नियत की गई। दिनांक 13.06.2024 को पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वकील वादी को दिनांक 06.01.2023 से अभी तक साक्ष्य करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नही करने पर वादी के साक्ष्य बन्द किये गये। दिनांक 08.08.2024 को साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये। पत्रावली मे बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने दावा में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं वाद को स्वीकार करने करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद को खारिज करने का निवेदन किया। बहस एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी की ओर से पेश वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक [illegible] को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी [illegible] द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:53:52 IST
Reason: SelfAttested